सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र *1*, सोमवार, *शाके* 1943–मार्च 22, 2021 *Chaitra 1, Monday, Saka 1943- March 22, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 10, 2021

जी.एस.आर.257 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात्: -

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 24ख का संशोधन.- राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ख के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थातः-

"(1) नियम 25 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और नियम 24खख के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा के सदस्यों को डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्कीम जिसे इसमें इसके पश्चात् डी.ए.सी.पी. स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन निम्नानुसार पदोन्नतियां मंजूर की जायेगी:-

क्र. सं .	डी . ए . सी. पी. के अधीन पदोन्नति		पदोन्नति के लिए अपेक्षित नियमित सेवा के वर्षो की संख्या
	पद से	पद पर	
1.	सहायक आचार्य	सह आचार्य	अधिष्ठायी रूप से नियुक्त संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे सहायक आचार्यों जिन्होंने सुसंगत नियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन 6 वर्ष की नियमित सेवा और यदि जिनके पास एमसीआई द्वारा यथाविहित सुपर-स्पेशियलिटी विषय में डिग्री है तो सहायक आचार्य के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा, पूरी

			कर ली हो, उनमें से पदोन्नति द्वारा।
2.	सह आचार्य	आचार्य	संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे सह आचार्य से, जिसने उक्त पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।
3.	आचार्य	वरिष्ठ आचार्य	संबंधित विशिष्टताओं वाले ऐसे आचार्यों से जिन्होंने उक्त पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

टिप्पणी : 1. सह आचार्य, जो 01-04-2011 को सह आचार्य के रूप में चार वर्ष की सेवा सहित 14 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो और 01-04-2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अधीन आचार्य के रूप पदोन्नत किया गया हो, को आचार्य के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, वरिष्ठ आचार्य के रूप में 10,000/- रूपये का ग्रेड वेतन 01-04-2013 से मंजूर किया जायेगा।

(2) आचार्य जो 01-04-2011 से पहले नियमित रूप से पदोन्नत हुआ हो और जिसने 01-04-2011 को 14 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो परन्तु जिसने 01-04-2011 को आचार्य के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी नहीं की हो, को भी वरिष्ठ आचार्य के रूप में 10,000/-रूपये का ग्रेड वेतन 01-04-2013 से मंजूर किया जायेगा।

(3) यदि किसी विशिष्टता का कोई नया विभाग शुरू किया गया है तो अन्य विशिष्टता से चिकित्सा अध्यापकों को, जिन्हें एमसीआई/आरयूएचएस के विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया गया है, उक्त विनियमों में यथाउल्लिखित उनकी तकनीकी और शैक्षणिक अर्हताओं के अनुसार समकक्ष स्थिति में रखा जा सकेगा।

(4) विद्यमान चिकित्सा अध्यापक, जिनके पास उनकी नियुक्ति के विषय से भिन्न एमसीआई द्वारा यथाविहित सुपर-स्पेशियलिटी विषय में डिग्री है, एमसीआई द्वारा यथाविहित सुपर-स्पेशियलिटी के उनके अपने विषय की विशिष्टता में उपलब्ध रिक्त पदों पर सहायक आचार्य के रूप में विस्थापित होने का एक बारगी विकल्प का प्रयोग करेंगे।

(5) यदि उपरोक्त टिप्पण 4 के अनुसार विद्यमान नियमित चिकित्सा अध्यापक सुपर-स्पेशियलिटी के उनके अपने विषय की विशिष्टता पर विस्थापित होते हैं तो उनका अनुभव नई विशिष्टता में सहायक आचार्य के रूप में उनके पद ग्रहण करने की तारीख से ठीक अगले अप्रैल के प्रथम दिन से गिना जायेगा।

[सं.एफ 1(3) डीओपी/ए-II/78,
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
जय सिंह,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL

A-Gr.-II

NOTIFICATION

Jaipur, March 10, 2021

G.S.R.257 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962 namely: -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) (Amendment) Rules,2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 24B.-** The exiting sub-rule (1) of rule 24B of the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules,1962 shall be substituted by the following namely :-

"(1) Notwithstanding anything contained in rule 25 and subject to the provisions of rule 24BB, the members of the service shall be granted promotion under Dynamic Assured Career Progression Scheme hereinafter referred to as the DACP Scheme, as under:-

S.N.	Promotion under DACP Scheme		Number of years of regular service required for promotion
	From	To	
1.	Assistant Professor	Associate Professor	By promotion from amongst substantively appointed Assistant Professors of concerned specialities who have completed 6 years of regular service under the provisions contained in relevant rule and if possessing degree in super-speciality subject as prescribed by the MCI, 03 years regular service of the post of Assistant Professor.
2.	Associate Professor	Professor	By promotion from Associate Professors of concerned specialities who have completed 04 years of regular service, on the said post.
3.	Professor	Senior Professor	By promotion from Professors of concerned specialities who have completed 04 years of regular service on the said post.

Note:

1. Associate Professor who has completed 14 years of service including four years as Associate Professor as on 01-04-2011 and promoted as Professor under DACP scheme from 01-04-2011 shall be granted grade pay of Rs.10000/-as Senior Professor on completing two years of service as Professor i.e. with effect from 01-04-2013.
2. Professor regularly promoted before 01-04-2011 and who has completed total service of 14 years as on 01-04-2011 but has not completed two years of service

as Professor as on 01.04.2011 shall also be granted grade pay of Rs.10000/- as Senior Professor with effect from 01-04-2013.

3. In case a new department of any speciality is started, the Medical Teachers from other speciality who are permitted as per provisions in regulations of the MCI/RUHS may be placed at equivalent position as per their technical and academic qualifications as mentioned in the said regulations.
4. The existing regular Medical Teachers possessing degree in super-speciality subject as prescribed by the MCI in subjects other than their subject of appointment shall exercise one-time option to shift to the speciality of their subject of super-speciality as prescribed by the MCI as Assistant Professor on available vacant posts.
5. If the existing regular Medical Teachers shifted to the speciality of their subject of super-speciality as per note 4 above, then their experience shall be counted from first day of April next following the date of joining as Assistant Professor in the new speciality.

[No.F.1(3) DOP/A-II/78]
By Order and in the name of the Governor,
JAI SINGH
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।